अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या – 49/2025
अर्न्तगत
अपील संख्या – 3365/2024

डॉ. नितेश कुमार शर्मा **–प्रार्थी–अपीलार्थी**

बनाम

1. श्री भानू प्रकाश शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. श्री ओम प्रकाश बैरवा, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. डॉ. कृष्णकांत पाठक, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.02.2025
आदेश की दिनांक : 10.03.2025

उपस्थित :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री महिमा उपाध्याय, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अवमानना याचिका में अपील संख्या 3365/2024 डॉ. नितेश कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में अधिकरण के आदेश दिनांक 21.11.2024 की अनुपालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं करने के संबंध में प्रस्तुत की गई है।
2. अधिकरण द्वारा अपील संख्या 3365/2024 में निम्न आदेश दिया थाः–

> "अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए इस अपील का निस्तारण इस आधार पर किया जाता है कि अपीलार्थी ने जो अभ्यावेदन आयुक्त कॉलेज शिक्षा, जयपुर को दिनांक 14.11.2024 को प्रेषित किया है। उस पर प्रत्यर्थी विभाग राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 माह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार

निस्तारण किया जावे।'' उनका कथन है कि उक्त आदेश की पालना नहीं की गई है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से अपीलार्थी के अभ्यावेदन के संबंध में जारी आख्यात्मक आदेश दिनांक 28.02.2025 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिकरण के आदेश की अनुपालना में अभ्यावेदन का आदेश जारी कर निस्तारण किया जा चुका है। अतः अवमानना याचिका खारिज करने का निवेदन किया।
4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता की अवमानना प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकरण ने अपील में अपीलार्थी को यह निर्देश दिये थे कि प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 14.11.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसका प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 28.02.2025 द्वारा गुणावगुण एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किए अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश जारी कर निस्तारण किया जा चुका है। अतः हमारा यह मत है कि अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के आदेश की पालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभ्यावेदन का सम्यक् रूप से निस्तारण किया जा चुका है। इसलिए अवमानना याचिका खारिज किए जाने योग्य है। अतः अवमानना याचिका खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)